रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1973/चैत्र 26, 1895

No. 149] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1973/CHAITRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April 1973

S.O. 223(E).— In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 638, dated the 10th February, 1969 (as amended from time to time).

[No. F.10(3)-IT/71.]

वाणिज्य मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

का० आ० 223 (अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के

भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 638 तारीख 10 फरवरी, 1969 (समय-समय पर यथासंशोधित) को विखंडित करती है ।

[सं० फा० 10(3)-आई० टी०/71]

S.O. 224(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, by the Central India Cotton Association Limited, Chhota Sarafa, Ujjain, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years ending the 15th April, 1976 in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F.10(3)-IT/71-I.]

का० आ० 224 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, सैंट्रल इंडिया काटन एसोसिएशन लि०, छोटा सराफा, उज्जैन, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन दिए गए मान्यता के लिए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विचार कर लिया है और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल 1976 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त एसोसिएशन को कपास के अग्रिम संविदाओं की बाबत मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन वायदा बाजार आयोग के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 10(3)-आई० टी०/71-1]

S.O. 225(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, by Southern Gujarat Cotton Dealers' Association, Resham Bhavan, Surat, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years ending 15th, April, 1976 in respect of forard contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F.10(3)-IT/71-II.]

का० आ० 225(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, सदर्न गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, रेशम भवन, सूरत द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन दिए गए मान्यता के लिए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श करने के पश्चात् विचार कर लिया है और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त एसोसिएशन को कपास के अग्रिम संविदाओं को बाबत मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन वायदा बाजार आयोग के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 10(3)–आई० टी०/71–2]

S.O. 226(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, by the Ahmedabad Cotton Merchants' Association, Manek Chowk, Ahmedabad-1, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years ending the 15th, April, 1976 in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F.10(3)-IT/71-III.]

का० आ० 226(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, अहमदाबाद काटन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, मानिक चौक, अहमदाबाद 1, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन दिए गए मान्यता के लिए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करने के पश्चात विचार कर लिया है और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त एसोसिएशन को कपास के अग्रिम संविदाओं की बाबत मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन वायदा बाजार आयोग के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएँ ।

[सं० फा० 10(3)—आई टी/71–3]

S.O. 227(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, by Central Gujarat Cotton Dealers' Association, Broach, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section

6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years ending 15th, April, 1976 in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission..

[No. F.10(3)-IT/71-IV.]

का० आ०—227(अ) केन्द्रीय सरकार ने, सेन्ट्रल गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, बरोच, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन दिए गए मान्यता के लिए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करने के पश्चात विचार कर लिया है और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त एसोसिएशन को कपास के अग्रिम संविदाओं की बाबत मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन वायदा बाजार आयोग के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जायें ।

[सं० फा० 10(3)—आई टी/71—4]

S.O. 228(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, by the Northern India Cotton Association Limited, Bhatinda, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years ending 15th, April, 1976 in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F.10(3)-IT/71-V.]
R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० आ० 228(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, नार्दर्न इंडिया काटन एसोसिएशन लिमिटेड, भटिंडा, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन दिए गए मान्यता के लिए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करने के पश्चात विचार कर लिया है और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त एसोसिएशन को कपास के अग्रिम संविदाओं की बाबत मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन वायदा बाजार आयोग के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 10(3)—आई टी/71—5]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973